

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक- 03 12 2020

नोटिस


बनाम

श्री मनोज कुमार साहू (पेशकार)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी, (चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

आज दिनांक- 03. 12. 2020 को रीडर द्वारा कॉज लिस्ट प्रस्तुत की गयी । इस कॉल लिस्ट में 30 पत्रावलियाँ दर्शित हो रही है । अर्दलीगण से पत्रावलियों में पुकार लगाये जाने के बावत कहा गया तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं हैं । इस संबंध में रीडर से मौखिक रूप से पूछा गया तो रीडर द्वारा भी अवगत कराया गया कि कार्यालय लिपिकगण द्वारा कोई भी पत्रावली अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयी है । इस समय समय लगभग 11 बजे रहे है और अभी भी पत्रावलियाँ न्यायालय कक्ष में मौजूद नहीं हैं । अतः रीडर अपनी आख्या आज ही प्रस्तुत करें कि न्यायालय में पत्रावलियाँ अभी तक क्यों नहीं आयी हैं ।

मैंने गठित किया गया चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित


03-12-2020
(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

Filed
03-12-20
11:22 AM

10/11

सेवा में,

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), झांसी
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित)।

विषय- नोटिस दिनांक- 03.12.2020 के संबंध में आख्या/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने बाबत।

महोदय,

नोटिस दिनांकित-03.12.2020 के संबंध में ससम्मान निवेदन यह है प्रार्थी को दिनांक-03.12.2020 की कॉज लिस्ट में दर्शित हो रही पत्रावलियां दिनांक-02.12.2020 को सायं काल न्यायालय बन्द होने के समय तक कार्यालय से प्रेषित नहीं की गई थी एवं अगले दिवस सुबह 11 बजे तक कार्यालय बन्द था तदोपरांत कार्यालय लिपिकगणों द्वारा पत्रावलियां समय- 11:25AM पर न्यायालय में कॉज लिस्ट पर समय अंकित कर प्रेषित की गई, जिस कारणवश पत्रावलियां पुकार हेतु न्यायालय में उपलब्ध करायी नहीं जा सकी थी, जिसके लिये प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है।

अतः महोदय से सादर निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त कारित भूल के संबंध में क्षमा करने की कृपा करें। आख्या महोदय के सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक-03.12.2020

प्रार्थी
03-12-20

मनोज कुमार साहू
(रीडर/पेशकार)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(एफ०टी०सी०), झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित)।

विषय संख्या

न्यायाधीश अवर न्यायाधीश (F. T. C.) इलाहाबाद

(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

दिनांक (05.10.2021)

नोटिस

बनाम

श्री मनोज कुमार साहू, द्वितीय (पेशकार)

विषय:- बिना किसी सूचना के न्यायालय से अनुपस्थित रहने के संबंध में।

अवगत कराया जाता है कि आप बिना किसी सूचना के न्यायालय कार्य अवधि के दौरान प्रातः 10 30 बजे से 11. 10 बजे तक अनुपस्थित हैं। आपके अनुपस्थित रहने बावत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगीता पटेल से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा अवगत कराया गया कि आप न्यायालय एस०सी०/ एस०टी० एक्ट में गये हुए हैं।

अतः आप आज ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आप बिना किसी सूचना के न्यायालय कार्य अवधि के दौरान क्यों और किस कारण से अनुपस्थित रहे।

Handwritten signature and date: 5.10.21

Handwritten signature and date: 05.10.2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) इलाहाबाद।

(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।

(चौहदवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

सत्र परीक्षण सं०- 238/ 2019

(JO Code- UP6488)

सरकार

बनाम

करन सिंह उर्फ भज्जू

दिनांक- 05. 10. 2021

पत्रावली पेश हुयी । अभियुक्त करन सिंह द्वारा वी०सी० जेल से उपस्थित । साक्षी पी०डब्लू०- 5 रानू यादव वास्ते शेष प्रतिपरीक्षा उपस्थित । साक्षी सुरेन्द्र सिंह यादव उपस्थित व प्रार्थनापत्र 16B जमानतीय वारण्ट को निरस्त करने हेत प्रस्तुत किया । प्रार्थनापत्र पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया ।

प्रार्थनापत्र में वर्णित आधार पर्याप्त । साक्षी द्वारा मु०- 10,000/- रुपये निजी बंधपत्र निष्पादित करने पर जारी जमानतीय वारण्ट का निष्पादन निरस्त किया जाता है । साक्षी पी०डब्लू०- 5 से प्रतिपरीक्षा हेतु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं । अतः आज की कार्यवाही स्थगित करने पर अभियुक्त पर मु०- 200/- रुपये हर्जा अधिरोपित किया जाता है । नियत तिथि पर हर्जा अदा कर साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाए । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता स्वयं सूचित हो । पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पेशकार द्वारा सूची पत्र में साक्षी सुरेन्द्र सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 16B को सूचीबद्ध किया गया, किन्तु उसका कोई उल्लेख आदेश पत्र में नहीं किया और न ही प्रार्थनापत्र 16B मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही इस तथ्य का कोई उल्लेख आदेश पत्र में किया कि साक्षी पी०डब्लू०- 5 वास्ते जिरह व साक्षी सुरेन्द्र सिंह यादव उपस्थित । पेशकार का उक्त कृत्य घोर लापरवाही व कार्य की शिथिलता की श्रेणी में आता है । अतः पेशकार को भविष्य के लिए आदेशित किया जाता है कि जिस किसी पत्रावली में किसी पक्षकार द्वारा जो भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है उसे सूचीबद्ध कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा कार्य सावधानी व सतर्कता से करना सुनिश्चित करें । पत्रावली दिनांक- 16. 10. 2021 को वास्ते शेष प्रतिपरीक्षा साक्षी पी०डब्लू०- 5 व शेष साक्ष्य हेतु पेश हो ।

दिनांक- 05. 10. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।

(चौहदवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला न्यायाधीश (वरिष्ठ न्यायालय) झाँसी
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
झाँसी ।

विषय:- रीडर द्वारा अपने कर्तव्यों से बचने के लिए व न्यायिक कार्य प्रभावित करने के उद्देश्य से अर्जित अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने व कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक द्वारा न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित करने के आशय से प्रस्तुत आकस्मिक अवकाश प्रार्थनापत्र के संबंध में ।

महोदय

ससम्मान निवेदन करना है कि आज दिनांक- 06. 10. 2021 को प्रातः 10 बजे जब मैं न्यायालय पहुँचा तो मेरे विश्राम कक्ष में कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका प्रस्तुत की गयी, जिसमें पेशकार मनोज कुमार साहू- द्वितीय द्वारा दिनांक- 06. 10. 2021 से 15. 10. 2021 तक स्वयं के इलाज के बावत अर्जित अवकाश का प्रार्थनापत्र तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारी कु० खुशनुमा द्वारा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र अस्वस्थता के आधार पर उपस्थित पंजिका में रखा हुआ पाया गया । मेरे द्वारा अपने आशुलिपिक श्री मोहित कुमार से न्यायालय कक्ष व कार्यालय कक्ष खोले जाने के संबंध में व उपस्थित पंजिका में प्रस्तुत उपरोक्त दोनों आवेदन पत्रों के संबंध में पूछताछ की गयी तो आशुलिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय कक्ष की चाबी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित शर्मा द्वारा दी गयी और श्री मोहित शर्मा द्वारा पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कु० खुशनुमा ने यह चाबी दिनांक- 05. 10. 2021 को सांय काल में दी थी । उपस्थित पंजिका में संलग्न अर्जित अवकाश के प्रार्थनापत्र व आकस्मिक अवकाश के प्रार्थनापत्र के बावत पूछताछ की गयी तो आशुलिपिक द्वारा अवगत कराया गया किया कि मनोज कुमार साहू- द्वितीय का अर्जित अवकाश व कु० खुशनुमा का आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने दिया है, जिनके नामों उसे कोई जानकारी नहीं है ।

चूँकि न्यायालय के वरिष्ठ लिपिक श्री बाल्मीकि साहू दिनांक- 04. 10. 2021 से 13. 10. 2021 तक अर्जित अवकाश पर हैं । इस तथ्य की जानकारी श्री मनोज कुमार साहू- द्वितीय पेशकार व कु० खुशनुमा सहायक लिपिक को पूर्ण रूप से है । इसके बावजूद उक्त दोनों कर्मचारीगण द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित करने से आशय से अपना- अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है ।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि दिनांक- 05. 10. 2021 को पेशकार द्वारा सत्र परीक्षण सं०- 238/ 2019 में साक्षी द्वारा प्रस्तुत जमानतीय वारण्ट को निरस्त करने के बावत प्रार्थनापत्र सूचीपत्र में चढ़ाया गया था, लेकिन उसका कोई उल्लेख आदेश पत्र में नहीं किया और न ही प्रार्थनापत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया । जब साक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सांय काल में मेरे समक्ष यह तथ्य संज्ञान में लाया गया तब ज्ञात हुआ कि पेशकार द्वारा गलत तरीके से आदेश पत्र अंकित किया गया जिस बावत मेरे द्वारा उक्त पत्रावली में विस्तृत आदेश पारित किया गया ।

10/1

माननीय महोदया को अवगत कराना है कि पेशकार द्वारा कार्य करने में अत्यधिक लापरवाही और घोर शिथिलता कारित की जा रही है और न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित किया जा रहा है तथा कु० खुशनुमा द्वारा भी न्यायिक कार्य में सहयोग न कर न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित किया गया, जिसका आकस्मिक अवकाश मेरे द्वारा निरस्त कर दिया गया है और संबंधित कर्मचारी को सूचित किये जाने के बावत न्यायालय के अन्य कर्मचारी को अवगत कर दिया गया है। लेकिन उक्त कर्मचारी समय 11 बजे तक उपस्थित नहीं आयी है।

इस प्रकार मेरे न्यायालय में आज दिनांक- 06. 10. 2021 को पेशकार व कार्यालय लिपिक के रूप में कार्य करने हेतु कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है। अतः निवेदन है कि उक्त कर्मचारीगण के गैर हाजिर रहने की अवधि तक कार्यालय लिपिक व पेशकार के रूप में अन्य कर्मचारी की नियुक्ति करने की कृपा करें, जिससे न्यायिक कार्य सुचारु रूप से हो सके।

आज दिनांक- 06. 10. 2021 की तिथि को पेश होने वाली कोई भी पत्रावली मेरे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

न्यायालय व कार्यालय कक्ष की चाबियाँ उक्त पेशकार व लिपिक द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दी गयी जो कि चाबी लेने के लिए व न्यायालय एवं कार्यालय कक्ष खोलने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः माननीय महोदया से निवेदन है कि उक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों के कारण न्यायिक कार्य व्यवधानित करने व गैर जिम्मेदारी से चाबियाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सुपुर्द करने व न्यायालय एवं कार्यालय कक्ष को खोले जाने के बावत उक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच कर दण्डित करने की कृपा करें।

सूचना माननीय महोदया की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

दिनांक- 06. 10. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

संलग्नक:-

उक्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मूल (02)।

06.10.21
2:10 PM

की कामकी बात! कर्मचारी लक्ष्य के
बाद तक यथाशक्ति कार्यालय
में से कई कार्रवाई किये कर्म
ने नहीं प्राप्त किया!
S.M.P.

दि० 06-10-21

समय 2:10

10/2

को मान जाये जो अधिक अवकाश से
में पुनः लेन-देन के बाद गई जिसे
3:10 पर प्राप्त किया गया!
S.M.P.

दि० 06-10-21

रवाही
10

अवकाश के लिए व नगदीकरण के लिए आवेदन पत्र

(Form of Application For the Encashment leave)

टिप्पणी (1) मद 1 से 10 तक की प्रविष्टियां सभी आवेदकों द्वारा चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हो अन्यथा अराजपत्रित कर्मचारी द्वारा ही भरा जायेगा।
(2) मद 10 केवल अवकाश में नगदीकरण के मामले पर होगी।

- (1) आवेदक का नाम श्री. राज कुमार साहू (दिनांक)
- (2) लागू अवकाश नियम वृत्तमान
- (3) पद का नाम प्रिन्सिपल
- (4) विभाग कार्यालय अ.प्र.सं. माध्यमिक विद्यालय, पट्टा, ई.प्र.सं. जिला, ज.प्र.सं.
- (5) वेतन
- (6) अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक 06.10.2021 से 15.10.2021 तक

आपेक्षित है तथा उसकी प्रकृति चिकित्सीय प्रकृति

- (7) अवकाश मांगे जाने का कारण स्वयं की इच्छा से
- (8) पिछली बार अवकाश किस दिनांक से
लिया गया उसकी प्रकृति
- (9) अवकाश की अवधि में पता 512 सरदार बाजार, ई.प्र.सं.
- (10) ख) क्या 30 दिन एक माह अर्जित अवकाश औसत वेतन
अवकाश का नगदी करण अपेक्षित है।
ख) क्या चालू कलन्डर वर्ष में इसके पूर्व अवकाश लिया गया

.....
06.10.21
आवेदक के हस्ताक्षर

(11) अग्रसारण अधिकारी की अभियुक्ति स्तुति

दिनांक पद का नाम

(12) फाईनेन्शियल हैल बुक खण्ड 2 भाग 2 से 4 के सहायक नियम 81 के अनुसार प्राधिकारी की रिपोर्ट।
क) प्रमाणित किया जाता है कि फाईनेन्शियल हैड बुक खण्ड 2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम या किस सहायक नियम के अधीन तक आवेदित अर्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश देय है।
ख) प्रमाणित किया जाता है कि मद 10 पर आपेक्षित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा अनुमत है।
दिनांक हस्ताक्षर
पद का नाम

अवकाश तथा अवकाश की नगदी करण स्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश
दिनांक हस्ताक्षर
पद का नाम

श्रीता जी,

श्रीमान अमर गिन्वा एवं अश्व - गाथाधीश, वारिह
न्यायालय (चौदहवीं विन्तीय आयोग भोजन-संगत गणित)
कांशी ।

विषय :- आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

आसम्मान विवेदन है कि प्रार्थिया का आकस्मिक स्वास्थ्य
प्रभाव हो जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ
है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र विवेदन है कि प्रार्थिया को
दिनांक - 06/10/2021 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने
की कृपा करें।

आदर असम्मान ।

दिनांक - 06/10/2021

प्रार्थिया
~~सुरेश कुमार~~
सुरेश कुमार

(अध्यायक लिपिक)

अपरिजला एवं अश्व न्यायाधीश, वारिह न्यायालय
(चौदहवीं विन्तीय आयोग भोजन-संगत गणित)
कांशी ।

06/10/2021
श्रीमान जी के साथ EL पर लिखते हैं
कि प्रार्थिया का स्वास्थ्य असाध्य है और
उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए
उसके आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने
की कृपा करें, जो कि न्यायालय में
व्यवस्थापक कारितान
है।

10/3

दिनांक 06-10-21
श्रीमान जी मेरे साथ सुरेश कुमार
को उसके मो० न० 6597199265
पर 10:27 बजे सुचना के
बाद उक्त कर्मचारी ने बचपान
जा सकी है ~~उक्त कर्मचारी~~ के बचपान
की मेरी लम्बे समय से
बाटी आ सकती है।

Sen.P.
960 06-10-21

पेपक

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया
झाँसी ।

विषय:-

आज दिनांक- 06. 10. 2021 को न्यायालय में पेशकार व लिपिक के अनुपस्थित रहने के संबंध में पुनः सूचना ।

महोदया


ससम्मान निवेदन करना है कि आज दिनांक- 06. 10. 2021 को मेरे न्यायालय में पेशकार मनोज कुमार साहू- द्वितीय व कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक द्वारा क्रमशः अर्जित अवकाश व आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया । इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय महोदया को प्रातःकाल में सूचना प्रेषित की जा चुकी है, जिसे प्रशासनिक कार्यालय के किसी कर्मचारी ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है । समय लगभग 2. 20 PM हो रहा है और अभी तक मेरे न्यायालय में कार्य करने हेतु किसी पेशकार/ लिपिक की नियुक्त नहीं हो सकी है ।

आज सत्र परीक्षण सं०- 312/ 11 में गवाह जियालाल प्रातः 11. 45 बजे से तथा सत्र परीक्षण सं०- 15/ 19 में गवाह श्रीमती संगीता व सुनील कुमार प्रातः 11. 30 बजे से, सत्र परीक्षण सं०- 415/ 12 में साक्षी सेवानिवृत्त एस०आई० उदयभान सिंह प्रातः 11. 45 बजे से तथा सत्र परीक्षण सं०- 310/ 15 में साक्षी बिहारी लाल व डॉ० एस० अग्रवाल प्रातः 11. 45 से उपस्थित हैं, किन्तु न्यायालय में पेशकार/ लिपिक की नियुक्ति के बावत आदेश न होने के कारण न्यायालय में कोई कार्य नहीं हो सका है और न्यायालय का कार्य अति गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है ।

अतः माननीय महोदया से पुनः निवेदन है कि न्यायालय के पेशकार/ लिपिक को नियुक्त करने की कृपा करने का कष्ट करें, जिससे न्यायिक कार्य सम्पादित किया जा सके ।

पुनः सूचना माननीय महोदया की सेवा में सादर प्रेषित ।

भवदीय


06/10/2021
(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 06. 10. 2021

अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

10/4

पेशकः विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत पदविभ.)

सेवा में माननीय जज गवाह न्यायाधीश झाँसी
झाँसी।

विषयः आज दिनांक 06 10 2021 को न्यायालय में पेशकार व लिपिक के अनुपस्थित रहने के संबंध में पुनः सूचना।

महोदया

ससम्मान निवेदन करना है कि आज दिनांक- 06 10 2021 को मेरे न्यायालय में पेशकार मनोज कुमार साहू-द्वितीय व कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक द्वारा क्रमशः अजित अय्यकर व प्रकल्पिक अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय महोदया को ततःकाल में सूचना प्रेषित की जा चुकी है, जिसे प्रशासनिक कार्यालय के किसी कर्मचारी ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। समय लगभग 2 20 PM हो रहा है और अभी तक मेरे न्यायालय में कार्य करने हेतु किसी पेशकार, लिपिक की नियुक्त नहीं हो सकी है।

आज सत्र परीक्षण सं०- 312/ 11 में गवाह जियालाल प्रातः 11. 45 बजे से तथा सत्र परीक्षण सं०- 15/ 19 में गवाह श्रीमती संगीता व सुनील कुमार प्रातः 11. 30 बजे से, सत्र परीक्षण सं०- 415/ 12 में साक्षी सेवानिवृत्त एस०आई० उदयभान सिंह प्रातः 11. 45 बजे से तथा सत्र परीक्षण सं०- 310/ 15 में साक्षी बिहारी लाल व डॉ० एस० अग्रवाल प्रातः 11. 45 से उपस्थित हैं, किन्तु न्यायालय में पेशकार/ लिपिक की नियुक्ति के बावत आदेश न होने के कारण न्यायालय में कोई कार्य नहीं हो सका है और न्यायालय का कार्य अति गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।

अतः माननीय महोदया से पुनः निवेदन है कि न्यायालय के पेशकार/ लिपिक को नियुक्त करने की कृपा करने का कष्ट करें, जिससे न्यायिक कार्य सम्पादित किया जा सके।

पुनः सूचना माननीय महोदया की सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय



(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 06. 10. 2021


अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

प्रशासनिक कार्यालय: जनपद न्यायाधीश, झांसी ।

आदेश

श्रीमान अपर जनपद न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय, झांसी) द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 06.10.2021 पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.10.2021 के अनुपालन में न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 (ओ0ए0डबलू0), झांसी में कार्यरत लिपिक श्री खेमराज को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 06.10.2021 व 07.10.2021 को उक्त न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (14वे वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित), झांसी का कार्य संपादित करें।

सभी संबंधित तदनुसार सूचित हो।


प्रशासनिक अधिकारी, 06.10.21
जनपद न्यायालय,
झांसी।

Sum 12:00 PM
03:30 PM

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया
झाँसी ।

विषय:- न्यायालय में किसी अन्य तृतीय श्रेणी कर्मचारी को पेशकार के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त
किये जाने के संबंध में ।

महोदया

ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे द्वारा दिनांक- 06. 10. 2021 को श्री मनोज कुमार साहू-
द्वितीय पेशकार व कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों के संबंध में माननीय महोदय को दो
पत्र प्रेषित किये गये थे । तत्पश्चात् अपरान्ह 3. 30 बजे प्रशासनिक अधिकारी झाँसी द्वारा एक व्यवस्था आदेश मेरे
न्यायालय में भेजा गया, जिसमें श्री खेमराज को दिनांक- 06. 10. 2021 व 07. 10. 2021 को कार्य करने हेतु
अधिकृत किया गया ।

आज दिनांक- 07. 10. 2021 को मेरे न्यायालय में 1. सत्र परीक्षण सं०- 150/ 21 राज्य बनाम
धर्मेन्द्र में साक्षी एस०आई० महेन्द्र कुमार, 2. सत्र परीक्षण सं०- 119/ 2012 राज्य बनाम अमित कुमार में साक्षी
एस०आई० शैलेन्द्र सिंह यादव, 3. सत्र परीक्षण सं०- 138/ 12 राज्य बनाम बॉबी उर्फ भूरिया में साक्षी सेवानिवृत्त
डी०आई०एस०पी० नसीम खान, 4. सत्र परीक्षण सं०- 152/ 19 राज्य बनाम निजाम खाँ में डॉ० विमलेश कुमार
मिश्रा, 5. सत्र परीक्षण सं०- 260/ 19 राज्य बनाम कृष्णकांत में साक्षी श्रीमती राजकुमारी, 6. सत्र परीक्षण सं०-
103/ 18 राज्य बनाम नंदकिशोर में साक्षी कॉ० रोहित प्रजापति व एस० आई० भोले लाल प्रजापति उपस्थित हैं,
जिसमें सत्र परीक्षण सं०- 152/ 19 राज्य बनाम निजाम खाँ में डॉ० विलमेश कुमार मिश्रा चिकित्सा अधिकारी का
साक्ष्य मेरे बोलने पर पेशकार श्री खेमराज द्वारा बड़ी मुश्किल से अंकित किया गया और जिसमें बहुत अधिक समय
उक्त कर्मचारी ने व्यतीत किया और अंत में कर्मचारी ने स्वयं निवेदन किया कि वह बयान लिख पाने में पूर्णतः
असमर्थ व अक्षम है और किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं लिख सकता ।

अतः माननीय महोदया से निवेदन है कि उक्त कर्मचारी के कार्य कर पाने व बयान लिख पाने में
असमर्थ व अक्षम होने के कारण किसी अन्य कर्मचारी को यथाशीघ्र नियुक्त करने की कृपा करें । साथ ही यह भी
अवगत कराना है कि दिनांक- 06. 10. 2021 को उक्त कर्मचारी के संबंध में अत्यधिक विलम्ब से व्यवस्था
आदेश प्राप्त होने के कारण साक्षीगण का साक्ष्य अंकित नहीं हो सका था । उक्त कर्मचारी प्रातः 11. 45 बजे से
बिना कोई सूचना दिये गैर हाजिर है ।

भवदीय



07.10.2021

(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 07. 10. 2021

अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

संलग्नक:-

उक्त कर्मचारी द्वारा सत्र परीक्षण सं०- 152/ 19 राज्य बनाम निजाम खाँ में समय 11. 15 बजे से 11. 35 बजे
तक अंकित बयान की छायाप्रति ।

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया
झाँसी ।

विषय:- आज दिनांक- 07. 10. 2021 को श्री खेमराज के प्रातः 11. 45 बजे से निरंतर गैर हाजिर रहने व कु० खुशनुमा के द्वारा दिनांक- 06. 10. 2021 को प्रस्तुत आकस्मिक अवकाश प्रार्थनापत्र के निरस्त किये जाने के संबंध में ।


महोदया

ससम्मान निवेदन करना है कि प्रशासनिक अधिकारी झाँसी द्वारा एक व्यवस्था आदेश दिनांकित - 06. 10. 2021 के संबंध में श्री खेमराज आज मेरे न्यायालय में पेशकार के रूप में कार्यरत थे और उनके द्वारा प्रातः 11. 15 बजे से 11. 35 बजे तक सत्र परीक्षण सं०- 152/ 19 में डॉ० विमलेश कुमार मिश्रा चिकित्सा अधिकारी का साक्ष्य मेरे बोलने पर बहुत मुश्किल से लिख पा रहे थे और स्वयं उक्त कर्मचारी द्वारा निवेदन किया कि वह बयान लिख पाने में पूर्णतः असमर्थ व अक्षम है और किसी प्रकार का बयान नहीं लिख सकता । तत्पश्चात मेरे द्वारा माननीय महोदया को अविलम्ब सूचना प्रेषित की गयी व अन्य किसी कर्मचारी को पेशकार के रूप में कार्य करने हेतु निवेदन के साथ पत्र प्रेषित किया गया और समय 11. 45 बजे से उक्त कर्मचारी बिना कोई सूचना के निरंतर गैर हाजिर है और उसके द्वारा कोई भी कार्य न्यायालय में नहीं किया गया ।

कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक द्वारा दिनांक- 06. 10. 2021 को आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था । न्यायालय में किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी के उपस्थित न होने के कारण उक्त कर्मचारी का प्रार्थनापत्र निरस्त करते हुए उसे सूचना प्रदान की गयी, जिस पर उक्त कर्मचारी ने न्यायालय आ पाने में असमर्थता व्यक्त की और उक्त कर्मचारी दिनांक- 06. 10. 2021 को कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं आयी । उक्त कर्मचारी ने आज दिनांक- 07. 10. 2021 को उपस्थिति पंजिका पर अपने हस्ताक्षर किये और दिनांक- 06. 10. 2021 को गैर हाजिर रहने व अवकाश के बावत कोई प्रार्थनापत्र पुनः प्रस्तुत नहीं किया और प्रातः काल से ही उक्त कर्मचारी भी निरंतर गैर हाजिर है । इस समय, समय लगभग 16. 10 बज रहा है ।

सूचना सादर ससम्मान प्रेषित ।

भवदीय


(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 07. 10. 2021

अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया
झाँसी ।

विषय:- आज दिनांक- 08. 10. 2021 से न्यायालय में पेशकार के रूप में कार्य करने हेतु कर्मचारी को नियुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदया

ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे न्यायालय में कोई तृतीय श्रेणी कर्मचारी पेशकार के रूप में कार्य करने हेतु मौजूद नहीं है और कु० खुशनुमा के संबंध में माननीय महोदया को दिनांक- 06. 10. 2021 व 07. 10. 2021 को सूचित किया जा चुका है ।

अतः माननीय महोदया से निवेदन है कि मेरे न्यायालय में श्री बाल्मीकि साहू के अवकाश से वापस आने तक किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी को पेशकार के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करने की कृपा करें ।

सादर ससम्मान ।

भवदीय


08.10.2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक- 08. 10. 2021

10/8

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
एफ0 टी0 सी0 द्वितीय ड्राँसी।
(C/U 14th F.C.)।

सेवा में

मा0 जनपद न्यायाधीश
ड्राँसी।

विषय

:आज दिनांक 16.10.2021 को मनोज कुमार साहू द्वितीय पेशकार द्वारा प्रातः 10:30 बजे से अभियोजन के किसी भी साक्षी का साक्ष्य अंकित न करने, मेरे द्वारा कहने के बावजूद साक्ष्य अंकित करने से स्पष्ट रूप से मना करने व अशिष्टता और अशोभनीय तरीके के पेश आने और जोर-जोर से बोलने तथा समय लगभग 12:30 बजे से निरन्तर गैर हाजिर रहने के सम्बन्ध में।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 16.10.2021 को श्री संतोष कुमार दोहरे विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रातःकाल में अवगत कराया गया कि गवाह सुबह से मौजूद हैं, और पेशकार से कई बार बयान लिखने के लिये कहा गया किन्तु पेशकार बयान नहीं लिख रहे हैं। न्यायालय में जो साक्षीगण मौजूद हैं उनमें 1. S.T.No. 153/18 में गवाह S.I. देवेश कुमार मेरठ से 2. S.T.No. 268/12 में गवाह S.H.O राजेश थादव लखनऊ से, 3. S.T.No. 260/19 में गवाह श्रीमती राजकुमारी, 4. S.T.No. 95/18 में गवाह श्रीमती लक्ष्मी, 5. S.T.No. 74/18 में गवाह गुपली, 6. S.T.No. 67/19 में गवाह सोनू रायकवार, 7. S.T.No. 238/19 में गवाह रानू व सुरेन्द्र, 8. S.T.No. 354/15 में गवाह तुलसीदास व शशिकान्त मौजूद हैं। यह भी अवगत कराया गया की पेशकार से बयान लिखने के कई बार कहा गया लेकिन बयान नहीं लिख रहे हैं बल्कि तेज आवाज में बोल कर कहकर चले गये मेरे पास एक ही काम नहीं है, इस समय, समय लगभग 12:15 हो रहा है।

तत्पश्चात मेरे द्वारा पेशकार को अपने विश्राम कक्ष में बुलाकर उक्त श्री संतोष कुमार दोहरे विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की मौजूदगी में कई बार साक्षीगणों के बयान लिखने को कहा गया और यह भी कहा गया कि बारह (12:00) बज चुका है, आपने अभी तक किसी भी साक्षी का साक्ष्य क्यों नहीं अंकित किया तो पेशकार द्वारा कहा गया कि वह किसी भी साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं करेंगे तथा पेशकार द्वारा अमर्यादित तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया और तेज-तेज आवाज में कहा गया कि वह किसी भी साक्षी का साक्ष्य अंकित ही नहीं करेंगे। मेरे द्वारा पेशकार को एक नोटिस दिया गया लेकिन मेरे न्यायालय के दोनों अर्दली कमशः श्री मोहित कुमार शर्मा, श्रीमती संगीता पटेल, आशुलिपिक श्री अरुण कुमार शर्मा, कोर्ट मोडरिटर श्री अवध किशौर, पेशकार एच0सी0 जितेन्द्र कुमार थाना बरूआ सागर से भिन्न-भिन्न समयों पर पेशकार के न्यायालय में उपस्थिति के बावत आख्या प्राप्त की गयी जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि पेशकार प्रातः 12:30 बजे से न्यायालय में मौजूद नहीं है। इस समय, समय लगभग 14:00 बज रहे है, श्री मनोज कुमार साहू द्वितीय पेशकार अपरान्ह 12:30 बजे से निरन्तर गैर हाजिर है, और उनके द्वारा अभी तक किसी भी साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं किया गया है,

10/9

AK

(1)

(6)

और अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने व मेरे आदेश का अनुपालन में घोर लापरवाही व शिथिलता कारित की गयी है और किसी भी साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं किया गया है। एक अन्य पत्रावली S.T.No. 74/18 में गवाह रामचरन मौजूद है। पेशकार द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों में जानबूझकर लापरवाही कारित करने और न्यायालय कार्यावधि में समय 12:30 बजे से निरन्तर गैर हाजिर रहने, साक्षीगणों का साक्ष्य अंकित न करने और अमर्यादित तरीके से मेरे साथ व्यवहार करने पर पेशकार के विरुद्ध नियमानुसार जाँच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय


16.10.2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
एफ0 टी0 सी0 द्वितीय झॉंसी।
(C/U 14th F.C.)।

दिनांक: 16.10.2021

संलग्नक:

1. मेरे द्वारा दिया गया नोटिस जो इस कारण तामील नहीं हुआ कि उक्त कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर मौजूद नहीं मिला। (छायाप्रति 01)।
2. श्री संतोष कुमार दोहरे विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दी गयी सूचना की छायाप्रति। (कुल 02)

10/10

